भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 244

जिसका उत्तर मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2025/11 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

बैंकों में अनक्लेम्ड डिपोजिट

244# श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनक्लेम्ड डिपोजिट खातों की संख्या तथा उनमें जमा राशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जमाराशि को खाताधारक के परिवार तक पहुंचाने की सरकार की क्या योजना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनान्तर्गत अब तक कितने खातों की कितनी जमा राशि को अब तक खाताधारक के परिवार को दिया जा चुका है, बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना (योजना), 2014, दावा न की गई जमाराशियों से संबंधित मानदंडों को नियंत्रित करती है। बचत और चालू खातों में शेष राशि, जो दस वर्षों तक निष्क्रिय रहती है, अथवा परिपक्वता की तारीख से दस वर्षों के भीतर दावा नहीं की गई सावधि जमाराशियों, को दावा न की गई जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इसे बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) निधि में हस्तांतरित कर दिया जाता है। 30.6.2025 तक डीईए फंड में हस्तांतरित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की दावा न की गई जमाराशियों का बैंक-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने खाताधारक अथवा नामित व्यक्ति अथवा कानूनी उत्तराधिकारियों को ऐसी दावा न की गई जमाराशियों की पहचान करने और उन्हें वापस करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और बैंकों को अन्य *बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित की सलाह दी है -

(क) बैंक की वेबसाइटों पर दस वर्षों या उससे अधिक समय से निष्क्रिय/अप्रभावी दावा न की गई जमाराशियों की सूची प्रदर्शित करना;

(ख) सही दावेदारों को दावा न की गई जमा राशि वापस करने के लिए ग्राहकों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के ठिकाने का पता लगाना;

(ग) शिकायतों के त्वरित समाधान, रिकॉर्ड रखने और दावा न किए गए जमा खातों की आवधिक समीक्षा के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

(घ) दावा न की गई जमाराशियों के वर्गीकरण और निगरानी के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करना।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस योजना के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए प्रिंट, रेडियो और डिजिटल मीडिया के माध्यम से विभिन्न जन जागरूकता अभियान चलाए हैं। दावा न की गई जमाराशियों के लिए पहुंच बढ़ाने और खोज प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, आरबीआई ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम (अनक्लेम्ड डिपॉजिट – गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन) लॉन्च किया है, जो जनता को एक ही मंच के माध्यम से विभिन्न बैंकों में दावा न की गई जमा राशि की खोज करने में सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, सरकार ने 4 अक्टूबर 2025 को गांधीनगर में राष्ट्रीय अभियान *"आपकी पूंजी, आपका अधिकार - आपका पैसा, आपका अधिकार" शुरू किया है* । सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और हर जिले को कवर करने वाला तीन महीने का यह अभियान (अक्टूबर-दिसंबर 2025), दावा न की गई वित्तीय संपत्तियों पर केंद्रित है और नागरिकों को उनके बकाया का पता लगाने और दावा करने में सहायता करता है। दावा प्रक्रिया में नागरिकों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजिटल प्रदर्शनों और हेल्पडेस्क द्वारा समर्थित

जागरूकता वीडियो के साथ-साथ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में एसओपी और एफएक्यू सामग्री का प्रसार जिला स्तरीय शिविरों के माध्यम से किया जा रहा है।

1.4.2022 से 15.11.2025 तक पिछले 3 वर्षों में डीईए फंड द्वारा बैंक-वार (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र) द्वारा निपटाए गए खातों की संख्या और जमा राशि का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

"बैंकों में अनक्लेम्ड डिपोजिट" के संबंध में दिनांक 2.12.2025 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

30.6.2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डीईए फंड में हस्तांतरित दावा न की गई जमा राशि का बैंक-वार विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	कुल राशि रुपए करोड़ में
1	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	5,277
2	बैंक ऑफ़ इंडिया	3,934
3	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र	1,135
4	केनरा बैंक	6,278
5	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	2,092
6	इंडियन बैंक	3,740
7	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक	2,386
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	831
9	पंजाब नैशनल बैंक	6,911
10	भारतीय स्टेट बैंक	19,330
11	यूको बैंक	1,312
12	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया	5,105

**स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक*

30.6.2025 तक निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा डीईए फंड में हस्तांतरित जमा न की गई जमा राशि का बैंक-वार विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	कुल राशि रुपए करोड़ में
1	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	590
2	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	88
3	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	131
4	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	101
5	फ़ेडरल बैंक लिमिटेड	348
6	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	363
7	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	330
8	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	258
9	नैनीताल बैंक लिमिटेड	43
10	रत्नाकर बैंक लिमिटेड	54
11	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	283
12	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	163
13	एक्सिस बैंक लिमिटेड	1360
14	डीसीबी बैंक लिमिटेड	92
15	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1610
16	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	2063
17	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	185
18	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	559
19	यस बैंक लिमिटेड	52
20	आईडीएफसी बैंक लिमिटेड	0
21	बंधन बैंक लिमिटेड	0

**स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक*

*****

अनुबंध-II

"बैंकों में अनक्लेम्ड डिपोजिट" के संबंध में दिनांक 2.12.2025 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

1.4.2022 से 15.11.2025 तक पिछले 3 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निपटाए गए खातों और जमा राशि की संख्या का बैंक-वार विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

क्र.सं.	बैंक का नाम	खातों की संख्या	ब्याज सहित कुल राशि (रुपए करोड़ में)
1	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	97,585	623
2	बैंक ऑफ़ इंडिया	2,27,920	515
3	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र	20,307	86
4	केनरा बैंक	1,48,219	831
5	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	29,38,535	1,262
6	इंडियन बैंक	77,224	459
7	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक	43,056	254
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	18,053	73
9	पंजाब नैशनल बैंक	1,71,736	626
10	भारतीय स्टेट बैंक	16,05,408	3,868
11	यूको बैंक	25,786	137
12	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया	1,78,963	722

**स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक*

निजी क्षेत्र के बैंक

क्र.सं.	बैंक का नाम	खातों की संख्या	ब्याज सहित कुल राशि (रुपए करोड़ में)
1	एक्सिस बैंक लिमिटेड	28,226	128
2	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	2,235	7
3	सीएसबी बैंक लिमिटेड	1,449	6
4	डीसीबी बैंक लिमिटेड	1,806	8
5	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	3,917	6
6	फ़ेडरल बैंक लिमिटेड	26,483	41
7	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	18,896	84
8	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	8,60,139	229
9	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	19,340	99
10	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	2,411	8
11	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	24,886	55
12	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	24,283	40
13	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	12,607	43
14	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	4,684	36
15	नैनीताल बैंक लिमिटेड	1,034	3
16	रत्नाकर बैंक लिमिटेड	1,217	5
17	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	10,554	32
18	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	8,987	8
19	यस बैंक लिमिटेड	1,041	3

**स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक*

*****